न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –3 / 2018 जिला सीकर।

1. राधा देवी पत्नी मन्नाराम उर्फ बन्नाराम
2. रूकमा देवी पत्नी देवाराम
3. राधा देवी पत्नी कानसिंह
4. मांगी लाल पुत्र डालूराम
5. देवाराम पुत्र नाथूराम
6. बन्नाराम पुत्र नाथूराम
   समस्त जाति जाट
7. मदन सिंह पुत्र गंगासिंह
8. पदम सिंह पुत्र गंगासिंह
9. सुमेर सिंह पुत्र गंगा सिंह
10. गुमान सिंह पुत्र गंगासिंह
    समस्त जाति राजपूत
    निवासी ग्रम लक्ष्मीपुरा, तहसील दंतारामगढ, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये तहसील दंतारामगढ, ज़िला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दंतारामगढ, जिला सीकर दिनांक 13.7.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक निल

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से जी.ए.अनुपस्थित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक– 1.5.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दंतारामगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.7.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 25.7.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि तहसीलदार (भू.अ.) दंतारामगढ, जिला सीकर ने पत्र क्रमांकः भू.अ. / 1489 दिनांक 4.7.17 द्वारा फर्द मौका पटवारी व गिरदावर , मौके पर चालू / ग्रेवल रास्तों की सूची एवं नक्शा संलग्न् कर ग्रम लक्ष्मीपुरा तहसील दंतारामगढ, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 438, 29, 30, 407, 408, 410, 416, 397, 398, 400, 402, 405 / 1, 385, 428, 429, 405 / 2, 401, 387, 389, 390, 392, 411, 412, 415, 404, 403, 386, 413 में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी दंतारामगढ ने प्रकरण संख्या रीडर / 17 / 155 दिनांक 13.7.2017 से माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिपेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज. जयपुर के परिपत्र कमांकः प. 3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / जयपुर दिनांक 10.8.16 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्र

क्रमांकः राजस्व / 16 / 2619–44 दिनांक 16.8.16 एवं राजस्व / 2016 / 4328–53 दिनांक 21.11.16 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार , दांतारामगढ के द्वारा अभिशंसित प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि संलग्न् प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रश की निम्न खसरा नम्बरों की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश आदेश का भाग रहेगाः–

क्र. सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्राम	खसरा नं	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है.में)
1.	करड	लक्ष्मीपुरा	438	0.048
			29	0.030
			30	0.008
			407	0.049
			408	0.044
			410	0.011
			416	0.017
			403	0.027
			397	0.017
			386	0.094
			398	0.057
			400	0.052
			402	0.120
			405 / 1	0.046
			385	0.009
			428	0.033
			429	0.049
			405 / 2	0.046
			401	0.099
			387	0.074
			389	0.059
			390	0.059
			392	0.059
			411	0.016
			412	0.022
			413	0.062
			415	0.014
			404	0.051

चिन्मय
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त निर्णय दिनांक 13.7.2017 के प्रस्ताव में पटवारी द्वारा सहवन से खसरा नम्बर व रकबा गलत लिखे जाने से निम्न प्रकार संशोधन के प्रस्ताव तहसीलदार ने पत्र क्रमांकः भू.अ./17/1687 दिनांक 25.7.2017 द्वारा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को प्रेषित किये गये –

क्र. सं.	प्रस्ताव के अनुसार खसरा नम्बर व रकबा		आदेश के अनुसार ख. नं. व रकबा		संशोधन किये जाने हेतु ख.नं. व रकबा	
1.	398	0.057	398	0.057	398	0.120
	400	0.052	400	0.052	400	0.057
	402	0.120	402	0.120	402	0.052

तहसीलदार के उक्त संशोधन प्रस्ताव के अनुसार उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने संशोधित आदेश क्रमांकः प्रकरण सं. रीडर/17 दिनांक निल पारित कर पूर्व में पारित आदेश सं. रीडर/17/155 दिनांक 13.7.2017 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया –

क्र.सं.	नाम पटवार मंडल	राजस्व ग्रम	आदेश अनुसार खसरा नं.	रास्ते के लिए प्रस्तावित रकबा (है. में)	संशोधन किये जाने हेतु ख.नं.	रकबा (है. में)
1.	करड	लक्ष्मीपुरा	398	0.057	398	0.120
			400	0.052	400	0.057
			402	0.120	402	0.052

उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ के उक्त दोनों आदेशों के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आने पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 398, 400, 402 के अपीलान्ट संख्या 7,1,2,3 व 4 , खसरा नम्बर 385 के अपीलान्ट संख्या 8,1 व 2, खसरा नम्बर 386 के अपीलान्ट संख्या 9 व 10 एवं खसरा नम्बर 387, 389, 390, 392 के अपीलान्ट संख्या 1,4,5,6 खातेदार है । उनका कहना था कि तहसीलदार ने बिना मौका देखे विवादित भूमि में से रास्ते के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भेजे हैं तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी बिना जॉच किये व बिना खातेदारों को नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ व विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारों को बिना नोटिस दिये व बिना जॉच किये दिनांक 13.7.17 को व संशोधित आदेश दिनांक निल प्रसारित कर दिये, जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि विवादित भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है । विवादित भूमि पर फसल मौके पर खडी है एवं पूर्व में भी मौके पर फसल रही है । पटवारी व गिरदावर ने घर बैठकर ही रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश में जिन परिपत्रों एवं नियमों का उल्लेख

किया गया है वे रास्ता कायम करने से संबंधित नहीं है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश का ज्ञान उन्हें समय पर नहीं हो सका एवं अपीलाधीन आदेश का ज्ञान होने पर यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है । अतः न्यायहित में विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकर की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते एवं विलम्ब के संबंध मे लचिला रूख अपनाते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण मे विवाद तहसीलदार की अभिशंषा पर अपीलान्ट्स एवं अन्य खातेदारों की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.17 पारित किया गया है एवं सहवन से पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 398,400 एवं 402 के रकबा गलत लिखे जाने से तहसीलदार के संशोधन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने संशोधन आदेश क्रमांक रीडर/17 दिनांक – निल जारी कर उक्त खसरा नम्बरान के रकबे में संशोधन किया है । अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि तहसीलदार ने बिना मौका देखे विवादित भूमि में से रास्ते के प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी को भेजे हैं तथा उप खण्ड अधिकारी ने भी बिना जॉच किये व बिना खातेदारों को नोटिस दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.7.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक निल पारित किये है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोन से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो खातेदारान को नोटिस जारी किये एवं न ही उन्हें सुना गया । हम समझते हैं कि किसी भी प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके अधिकारों के प्रतिकूल तथा उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाला निर्णय न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है । इसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 13.7.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक निल को विधिसम्यक नहीं कहा जा सकता । अतः अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ दिनांक 13.7.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक निल को अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 398, 400, 402, 385, 386, 387, 389, 390, 392 में से रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय करने हेतु उन्हें प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर दिनांक 13.7.17 एवं संशोधित आदेश दिनांक निल अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 398, 400, 402, 385, 386, 387, 389, 390, 392 में से रास्ता कायम करने की हद तक निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं

साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उन्हें प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 1.5.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर